

OFFICE OF THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE

मंडलीय महानिदेशक विदेश व्यापार का कार्यालय (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र),
(C.L.A.), 'A' WING I.P.BHAWAN, I.P.ESTATE, NEW DELHI-110002.
'ए' विंग, इन्द्रप्रस्थ भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002.

फा0सं0: 5 / 75 / 105 / 00519 / एएम-10 / ई.एच.सी-सीएलए /
F.No.5/75/105/00519/AM-10/EHC-CLA/

दिनांक:
Dated:

सेवा में/To,

मैसर्स/M/s. _____

विषय: निर्यात सदन प्रमाण पत्र का अग्रेषण/Forwarding of Export House Certificate.

महोदय/Sir,

कृपया दिनांक 8-12-2008 की अधिसूचना सं 70 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति 2004-09 भारत के अधीन 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध निर्यात सदन प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। Please find enclosed your Export House Certificate which has been issued in terms of Foreign Trade Policy 2004-09 read with Notification No.70 dated 08-12-2008 and is valid for a period of five years. आप अपने उन सभी आयात-निर्यात खातों का सही एवं उचित ररवररवाव रखे जिनके आधार पर आपको यह मान्यता प्रदान की गई है। You shall maintain true and proper accounts of exports and imports based on which this recognition has been granted. प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.3 के अनुसार वैधता अवधि के दौरान तथा उसके पश्चात कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए रिकार्ड का रखरखाव रखेंगे। Record shall also be maintained during validity period and for a minimum period of three years thereafter as per Para 3.3 of Hand Book of Procedures.

भवदीय/Yours faithfully

संलग्न: प्रमाण पत्र सं./

Encl: Certificate No:

दिनांक/Dated:

()

विदेश व्यापार विकास अधिकारी/

FOREIGN TRADE DEVELOPMENT OFFICER

कृते मंडलीय महानिदेशक विदेश व्यापार/

for ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE